भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **4415**

दिनांक 22 मार्च , 2018 / 1 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

दूरदराज के क्षेत्रों में विमान कंपनियों द्वारा प्रचालन

4415. डॉ. उदित राज:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के दूरदराज के और दुर्गम क्षेत्रों में विमान कंपनियों द्वारा प्रचालन को प्रोत्साहित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन भागों में विमानपत्तन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) तथा (ख): नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 अक्तूबर, 2016 को प्रारम्भ की गई क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) का उद्देश्य (1) केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों तथा हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालकों की लागत को कम करने के लिए रियायतें प्रदान किए जाने / अन्य सहायता उपाय किए जाने (2) एयरलाइन प्रचालकों की लागत और ऐसे मार्गों से संभावित राजस्व के अंतर, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण या वीजीएफ) दिए जाने के माध्यम से एयरलाइन प्रचालकों की सहायता करके क्षेत्रीय वायु सम्पर्कता को सुलभ बनाना / प्रोत्साहित करना है ।

(ग): आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 50 असेवित / अल्प-सेवित हवाईअड्डों / हवाई पट्टियों तथा सिविल एंक्लेवों का 2017-18 से प्रारम्भ तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 4500 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से पुनरूद्धार किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। तथापि, हवाईअड्डों का विकास चूंकि वित्तीय व्यवहार्यता पर किसी प्रकार का दबाव डाले बिना किया जाना है अत: हवाईअड्डों / हवाई पट्टियों का पुनरूद्धार एयरलाइन प्रचालकों की वचनबद्धता एवं राज्य सरकार द्वारा रियायतें प्रदान किए जाने की प्रतिबद्धता पर निर्भरता के साथ मांग आधारित है।